

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No. F. 2-28/2022- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated **27 OCT 2023**

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/ वरिष्ठ ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर पदोन्नति।
Subject:- Promotion to the post of Senior Physiotherapist / Senior Occupational Therapist at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 27.09.2023 को वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/ वरिष्ठ ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त श्री गणेश कुमार मीना, फिजियोथेरेपिस्ट/ ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/वरिष्ठ ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वेतन पे.मैट्रिक्स के लेवल -10 पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Senior Physiotherapist /Senior Occupational Therapist held on 27.09.2023 and its acceptance by the Competent Authority, **Sh. Ganesh Kumar Meena, Physiotherapist / Occupational Therapist** is promoted to the post of **Senior Physiotherapist / Senior Occupational Therapist** in Level-10 in the Pay Matrix from the date he assumes the charge of the post of **Senior Physiotherapist / Senior Occupational Therapist**.

उनकी वरिष्ठता वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/ वरिष्ठ ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात् 27.09.2023 से प्रभावी होगी।

His seniority in the post of **Senior Physiotherapist / Senior Occupational Therapist** will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 27.09.2023.

वह वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/ वरिष्ठ ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई., बाढ़सा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगी।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date he assumes the charge to the post of **Senior Physiotherapist / Senior Occupational Therapist**.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बशर्ते उन्हे आंशोद्धित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22 (1) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided He has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Contd...2...

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाडसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

His services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. He can be asked to perform duties in shifts also.

वह दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory services failing which his services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामले के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

(विश्वेश चतुर्वेदी / VISHWESH CHATURVEDI)
प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री गणेश कुमार मीना/ Sh. Ganesh Kumar Meena
फिजियोथेरेपिस्ट/ ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट / Physiotherapist / Occupational Therapist.
द्वारा/Thr.- Sr. Admin. Officer, C. N. Centre

प्रतिलिपि:

1. चीफ एन.एस. केंद्र/Chief, N. S. Centre
2. स्थापना अनुभाग (डीओ)/ओडिट विभाग / Establishment Section-C.N.C/Audit Section
3. लेखा विभाग सी.एन.सी / Accounts Section, C.N.C
4. संपदा विभाग/ ए.सी.आर सेल /Estate Section/ACR Cell
5. सतर्कता विभाग/लीगल सेल/Vigilance Cell /Legal Cell
6. प्रो. इन्चार्ज- कम्प्यूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website
7. डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबंधित सहायक
Dealing Assistant, Recruitment Cell